तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एलआर / 2005 / 5925 / धौलपुर** **कम्बोदसिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, उप राजकीय अभिभाषक रेस्पो.

दिनांक : 05 मार्च, 2020

निर्णय

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 29–10–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार धौलपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–11(4) बीहड़ भूमि का आबंटन नियम–1967 के तहत अप्रार्थी अपीलान्ट के विरूद्ध इन कथनों के साथ पेश किया कि अप्रार्थी/अपीलान्ट कम्बोदसिंह को आबंटन नियम–1970 के नियम–10 के तहत आराजी खसरा नम्बर–12/1 रकबा 60 बीघा, खसरा नम्बर–502 रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर–198 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 111 बीघा 10 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बीहड़ वाके ग्राम सांदरा तहसील धौलपुर का आबंटन दिनांक 4–4–1985 को आबंटन की शर्तो के साथ किया गया। उक्त आबंटित आराजी पर अप्रार्थी/अपीलान्ट बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा उक्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / एलआर / 2005 / 5925 / धौलपुर</u>** **कम्बोदसिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आबंटन के नियम 14(4) की पालना नहीं की गयी है। अतः अप्रार्थी/अपीलान्ट को किया गया आबंटन निरस्त किया जावे। माननीय जिलाधीश द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनकर अप्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौका रिपोर्ट पर किसी प्रकार का गौर किये बिना अप्रार्थी/अपीलान्ट का आबंटन दिनांक 4–4–1985 को निरस्त किये जाने की गैर कानूनी आज्ञा अपने निर्णय दिनांक 24–8–2004 द्वारा पारित कर दी। उक्त आदेश दिनांक 24–8–2004 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में पेश की जिन्होंने भी अपीलान्ट द्वारा उक्त दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर किये बिना अपने निर्णय दिनांक 16–4–2005 द्वारा अप्रार्थी/अपीलान्ट की अपील निरस्त कर दी। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा एक नजरसानी प्रार्थना पत्र विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में पेश किया जिसे विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 29–10–2005 द्वारा निरस्त कर दिया। विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 29–10–2005 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– बहस उभयपक्ष सुनी गई। 4– निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय दिनांक 24–8–2004, 16–4–2005 एवं 29–10–2005 न्याय, नियम एवं रिकार्ड	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / एलआर / 2005 / 5925 / धौलपुर</u>** **कम्बोदसिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24–8–2004 पारित करने से पूर्व तहसीलदार धौलपुर के निर्णय दिनांक 5–3–1992 पर किसी प्रकार का कोई गौर नहीं किया जिसमें स्पष्ट रूप से अप्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा आबंटन शर्तो का पूर्णतया पालन किया जाना तथा लगान इत्यादि अदा किये जाने का खातेदारी अधिकार दिये जाने का आदेश पारित किया गया था। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलान्ट/अप्रार्थी का आबंटन निरस्त करने से पूर्व इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट को आबंटन के पश्चात आबंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे तथा आबंटन के 15 साल बाद अपीलान्ट को किया गया आबंटन निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय दिनांक 29–10–2005 व 16–4–2005 एवं जिला कलेक्टर, धौलपुर का निर्णय दिनांक 24–8–2004 निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट को किया गया आबंटन दिनांक 4–4–1985 को बहाल रखा जावे। 5– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि प्रार्थी को 111 बीघा 10 बिस्वा भूमि बीहड़ भूमि आबंटन नियम, 1967 के तहत आबंटन किया। उक्त नियमों के अनुसार प्रार्थी को विवादित भूमि पर काश्त करनी थी लेकिन खसरा गिरदावरी संवत 2042 से 2046 के अनुसार काश्त नहीं की गई इसलिये नियम–11(4) के अनुसार जिला कलेक्टर, धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24–8–2004 द्वारा उक्त आबंटन निरस्त कर दिया। उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / एलआर / 2005 / 5925 / धौलपुर</u>** **कम्बोदसिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्णय के विरूद्ध विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 16–4–2005 द्वारा खारिज कर दी गई। नजरसानी भी दिनांक 29–4–2005 द्वारा खारिज कर दी गई। इस प्रकार उक्त सभी निर्णय विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत हैं। समवर्ती निष्कर्ष होने के कारण अब इसमें हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है। अतः हस्तगत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्थान भू राजस्व (बीहड़ भूमि का आबंटन) नियम–1967 का अवलोकन किया गया। उक्त नियमों के अनुसार नियम–11 के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :–

11. **Conditions of allotment.**- (1) The allotment under of land these rules shall be on a Ghair Khatedari tenancy with a right to ultimate conferment of khatedari rights after the expiry of a period of ten years from the date of allotment provided that the allottee fulfill during this period the terms and conditions of allotment, until khatedari rights are conferred, the allottee shall have all the rights and subject to all the liabilities of a Ghair Khatedari tenant under the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

(2) The allotment shall be liable to payment of rent all the sanctioned rent rates.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / एलआर / 2005 / 5925 / धौलपुर</u>** **कम्बोदसिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

(3) The allottee shall use the Ravine Land allotted to him for the purpose of agriculture only.

(4) The allottee shall have to cultivate at least one-fourth of the land allotted to him within two years at least two third of the land within three years and the entire land within 5 years from the date of the allotment:

Provided that, if the allottee brings two-third of the land under cultivation within 3 years, he will have, in lieu of cultivating, the option of developing a personal forest on the remaining land:

Provided that if the allottee shall have the option of developing such personal forest at any time, if he fulfills the condition of cultivating at least one-fourth of the land allotted to him within two years and at least two-third of the land within three years from the date of allotment.

(5) The land shall be liable to be resumed by the State Government without payment of compensation in case of breach of any of the conditions of allotment.

(6) The allottee shall not cut the trees standing on the land allotted to him except for the bonafide purpose of clearing the land, so as to make it fit for cultivation, if the trees are proved to have been cut out for any other purpose, the allottee shall be liable to pay the price of the trees, as may be fixed by the Collector, together with a penalty of Rs. 50/- per tree.

8– उक्त नियमों के नियम–11(4) के अनुसार आबंटी द्वारा आबंटन की तिथि से 2 वर्ष के अन्दर आबंटित भूमि के 1/4 भाग, तीन वर्ष के अन्दर 2/3 भाग एवं 5 वर्षो में सम्पूर्ण भूमि पर काश्त की जानी चाहिये। पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2042–43 में काई काश्त नहीं है। संवत 2044 में खसरा नम्बर–121 व खसरा नम्बर–198 पर कोई काश्त नहीं है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / एलआर / 2005 / 5925 / धौलपुर</u>** **कम्बोदसिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	9– जिला कलेक्टर, धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24–8–2004 में कब्जा काश्त बाबत निम्न टिप्पणी की हैः– **"समस्त आराजी पड़त नहीं है। संवत 2045 में खसरा नम्बर 12/1 में 7 बीघा पर फसल व शेष आराजी पड़त रही है एवं खसरा नम्बर–198 में 2 बीघा पर काश्त व 12 बीघा 11 बिस्वा पड़त रही है। संवत 2046 में खसरा नम्बर 12/1 में 30 बीघा पर फसल व 30 बीघा पड़त रही है। खसरा नम्बर–198 की समस्त आराजी पड़त रही है। संवत 2047 में खसरा नम्बर–12/1, 14 बीघा पर काश्त व 46 बीघा पड़त रही है। खसरा नम्बर–198 की समस्त आराजी 14 बीघा 11 बिस्वा पड़त रही है। आराजी खसरा नम्बर–502 रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा पर संवत 2042 से 2047 तक कोई काश्त नहीं की गयी है। संवत 2048 में खसरा नम्बर 12/1 में 51 बीघा पर काश्त व 9 बीघा पड़त रही है। खसरा नम्बर–198 में 3 बीघा 10 बिस्वा पर काश्त व 11 बीघा 1 बिस्वा पड़त रही है। खसरा नम्बर–502 में 10 बीघा पर काश्त व 26 बीघा 19 बिस्वा पड़त रही है। संवत 2049 में खसरा नम्बर–12/1 में 30 बीघा पर बाजरा, मूंग, अरहर एवं 30 बीघा पर सरसों की फसल की की है। खसरा नम्बर–198 में 2 बीघा पर फसल व 12 बीघा 11 बिस्वा पड़त रहा है। खसरा नम्बर–502 में 10 बिस्वा पर सरसों व 26 बीघा 19 बिस्वा पड़त रहा है।"** 10– इस प्रकार खसरा गिरदावरी से यह भली–भांति सिद्ध होता है कि बीहड़ भूमि आबंटन नियम–1967 के नियम–11(4) की शर्तो की पालना प्रार्थी द्वारा नहीं की गयी थी इसलिये जिला कलेक्टर, धौलपुर ने आबंटन नियम–11(4) के तहत आबंटन निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की थी जो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / एलआर / 2005 / 5925 / धौलपुर</u>** **कम्बोदसिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि निर्णय दिनांक 16–4–2005 को खारिज कर दी गयी। उक्त निर्णय के विरूद्ध एक नजरसानी भी प्रस्तुत की गई जो कि निर्णय दिनांक 20–10–2005 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती होने के कारण इस अपील के माध्यम से कोई हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। 11– अतः अपील सारहीन व बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (**हरि शंकर गोयल**) **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / एलआर / 2005 / 5925 / धौलपुर</u>** **कम्बोदसिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए